

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी
बनाम
रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.06.2025	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 18.11.2024 धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 04.06.2025 को आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वादी के आवेदन दिनांक 18.11.2024 पर सुना।</p> <p>वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह आवेदन वादग्रस्त जमीन के एक अंश को बेचने हेतु “अनुमति-आवेदन” माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा Civil Miscellaneous Jurisdiction no. 876 of 2022 में दिनांक 18.10.2024 को पारित आदेश के आलोक में है। सम्पूर्ण वादग्रस्त जमीन वादी की है यह जमीन रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 25.01.1929 से वादी के पितामह ने खरीदा था, इस जमीन का खाता सं0-168 है, खेसरा सं0-1408 है और रकवा 11 कट्ठा 16 धूर है। प्रतिवादी रामजी हलुवाई Rs. 199/- में खेस्टा बयनामा दिनांक 01.11.1938 से इसी जमीन को हासिल करने की बात जो बताई है, उस बारे में बेतिया के विद्वान अष्टम ए0डी0जे0 ने “विविध अपील सं0 6/18” में पारित अपने आदेश दिनांक 13.09.2022 के पृष्ठ 5 की निचली कण्डिका से पृष्ठ 6 की पहली कण्डिका में लिखा है कि Rs. 199/- के खेस्टा बयनामा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अधीन वैध कागज नहीं है, ऐसा बयनामा प्रारम्भ से ही शून्य माना जाना चाहिये, साथ ही 1938 में महिला को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। साथ</p>	

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>ही, वादी का कहना है कि प्रतिवादी रामजी हलुवाई की उस खेस्टा बयनामा की जमीन का खाता न0 332 है, जबकि वादी द्वारा बनाये वादग्रस्त जमीन का खाता न0 168 है। वादी की पुत्री एम.ए पास करके घर में बैठी है, उसका विवाह पैसे के अभाव में संभव नहीं हो पा रहा है। वादी भी खुद बेरोजगार है, पैसों के अभाव में वह कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे है, वादी के तीन जवान पुत्र है, मिठाई बनाकर मिठाई की दुकान चलाना चाहते है, लेकिन पैसों का पूर्णतः अभाव है। इसलिए वादी वादग्रस्त जमीन का एक अंश बेचकर पैसा प्राप्त करना चाहते है और जमीन बेचने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार इस न्यायालय से अनुमति लेनी है, इसलिये वह “अनुमति आवेदन” वादी ने न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। यह वाद 2017 में दाखिल हुआ, इस वाद में Issue frame करके साक्ष्य लिया जाना और फिर जल्द निर्णय किया जाना जरूरी है, परन्तु प्रतिवादी इस वाद को निष्पादित ही नहीं होने देना चाहते है। बेतिया के विद्वान अष्टम ए0डी0जे0 ने विविध अपील सं0 6/18 में पारित अपने आदेश दिनांक 13.09.2022 की अन्तिम पंक्ति में इस न्यायालय ने इस वाद को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया है और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा Civil Miscellaneous Jurisdiction no. 876 of 2022 में दिनांक 18.10.2024 को पारित आदेश में इस न्यायालय को निर्देश है कि इस वाद का निष्पादन जल्द से जल्द हो preferably एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए। वादी ने दिनांक 15.04.2023 को Issue दाखिल किया, प्रतिवादी इस न्यायालय के आदेश के</p>	
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>बावजूद Issue दाखिल नहीं किया, फलतः Issue frame होना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रतिवादी निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद वादग्रस्त जमीन को टुकड़े-टुकड़े करके बेचते रहे हैं, जिस सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच झंझट होने पर नरकटियागंज के एसडीएम ने सीआरपीसी की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही चलाया है, ऐसी बेची गयी जमीन पर अवैध निर्माण को पुलिस संरक्षण में ध्वस्त कराने और पूर्व की स्थिति पुनः स्थापित कराने का आवेदन दिनांक 20.09.2024 को वादी को दाखिल किया, उसका रिज्वाइन्डर प्रतिवादी नहीं देना चाह रहे हैं, जिस कारण वह आवेदन खटाई में पड़ गया। इसलिए इस वाद के अनन्त काल तक लम्बित रहना निश्चित है। उक्त तथ्यों और परिस्थितियों में वादी का यह आवेदन न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त जमीन में से नीचे दिये गये विवरण वाली पांच कट्ठा जमीन बेचने की अनुमति वादी को देने की कृपा की जाय। इसके लिए वादी आभारी रहेंगे।</p> <p><u>बिक्री हेतु प्रस्तावित जमीन का विवरण:</u></p> <p>लक्ष्मीपुर, लौरिया, थाना व अंचल लौरिया, जिला प0 चम्पारण स्थित वादग्रस्त जमीन का अंश:-</p> <p>मौजा लौरिया, थाना न0 432, खाता 168, खेसरा 1408, रकवा पांच कट्ठा, चौहद्दी- उ. खेसरा 1408 (अंजू देवी), द-वादी का निजी कच्ची रास्ता (खेसरा 1408 में), पूरब- खेसरा 1408 में वादी का निजी कच्ची रास्ता, पश्चिम- खेसरा 1408 (कलावती देवी)</p> <p>वादी के आवेदन दिनांक 18.11.2024 के विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0-01 ता 09 की तरफ से जवाब में</p>	
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>बताया गया कि वादी के आवेदन की स्वीकार्यता व गुण-दोष पर चर्चा करने से पहले श्रीमान् का ध्यान आवेदन की कंडिका 4 में वर्णित तथ्यों पर आकृष्ट करना आवश्यक है- वादी की पुत्री एम0ए पास करके घर में बैठी है, उसका विवाह पैसे के अभाव में संभव नहीं हो पा रहा है। वादी भी खुद बेरोजगार है, पैसे के अभाव में वह कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे है, वादी के तीन जवान पुत्र है, मिठाई बनाकर मिठाई की दुकान चलाना चाहते है, लेकिन पैसे का पूर्णतः अभाव है। इसलिए वादी वादग्रस्त जमीन का एक अंश बेचकर पैसा प्राप्त करना चाहते है और जमीन बेचने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्देश के अनुसार इस न्यायालय से अनुमति लेनी है, इसलिए “अनुमति आवेदन” वादी ने न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। उपर्युक्त अभिकथन के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को उपरोक्त प्रतिवादीगण सं0-01 ता 09 द्वारा दाखिल सिविल मिसलेनियस सं0- 876/2022 (प्रदीप कुमार वगैरह बनाम लालबाबू प्रसाद वगैरह) में पारित आदेश का उल्लेख करना उचित है जो निम्न प्रकार है: <i>After some argument, learned counsel for the petitioners submits that the learned trial court while allowing miscellaneous appeal onbly restrained the defendants/ petitioners for selling the suit property till further order by the court, but no restriction has been put on the plaintiff/respondent no.1. Learned counsel further submits that if the plaintiff/respondent no. 1 is restrained from alienating the suit land or changing the nature of the suit property till disposal of the title suit and if</i></p>	
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p><i>the learned trial court is directed to dispose of the title suit and within a stipulated time, the present petition may be disposed of at the state of admission. In the light of submission made on behalf of the parties, order dated 13-09-2022 passed by the learned Additional District Judge, 8th Bettiah, West Champaran in Misc. Appeal No. 06 of 2018 is modified and the plaintiff as well as defendants are directed not to alienate or transfer the suit property without prior permission of the court till further orders of the trial court.</i></p> <p>“जहां तक वादी, लालबाबू प्रसाद की पुत्री की शादी में विवादी जमीन का अंश बेचने का सवाल है, यह अभिकथन बिल्कुल असत्य है। लालबाबू प्रसाद की दो पुत्रियां, कमशः राजनंदनी कुमारी व अंजली कुमारी है। बड़ी पुत्री राजनंदनी कुमारी की शादी, ग्राम-बरवाकला, वार्ड सं0- 02, डाकघर- सिसवनिया, थाना-लौरिया, जिला-प0 चम्पारण के निवासी स्व0 कमलेश प्रसाद व श्रीमति पन्ना देवी के सुपुत्र हिरालाल कुमार से दिनांक 02.12.2024 को हुआ। जहां तक वादी की पुत्री को एम0ए0 पास कर घर बैठने का सवाल है, उनकी दोनों पुत्रियों में किसी ने भी एम0ए0 पास नहीं किया है। विवाहित बड़ी पुत्री राजनंदनी कुमारी ने डी0एल0एड0 में अपना नामांकन कराया था। छोटी पुत्री की शिक्षा-दीक्षा माध्यमिक स्तर तक है। जहां तक वादी द्वारा अपने आवेदन की कंडिका-4 में अपने व अपने तीनों लड़कों को पैसों के अभाव में बेरोजगार रहने व उसी वजह से मिठाई बनाकर दुकान नहीं चलाने की जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य से परे है। वादी को तीन पुत्र कमशः चंदन कुमार, रंजन कुमार व</p>	
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी
 बनाम
 रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>सोनू कुमार है। तीनों पुत्र का अपना-अपना मिठाई की दुकान है जिसका विवरण है: वादी का सबसे बड़ा पुत्र चंदन कुमार जो ठेले पर अपनी मिठाई का दुकान लगाता है, प्रतिष्ठान का नाम 'विश्वजीत स्वीट कॉर्नर' है, जो बगहा-रामनगर, वार्ड सं0-4 को जोड़ने वाली सड़क, हनुमान चौक पर है।' लालबाबू प्रसाद के दूसरे पुत्र रंजन कुमार जो मिठाई का कारखाना चलाता है जे0पी0 नगर, लौरिया बाजार, वार्ड नं0- 04 में अमित कुमार, पिता-दुर्गा प्रसाद (कानु) की जमीन में अवस्थित है। वादी के सबसे छोटे पुत्र सोनु कुमार, वार्ड सं0-04 जे0पी0 नगर, लौरिया में अमित कुमार, पिता-दुर्गा प्रसाद के जमीन में 'विश्वजीत मिष्ठान भंडार' के नाम से होटल चलाता है जो रंजन कुमार की दुकान के आसपास है। लालबाबु प्रसाद के पिता नथुनी प्रसाद के नाम पर दो कित्ता जमीन है जिसका विवरण है:</p> <p>खाता सं0 खेसरा सं0 रकबा(ए0डि0) कम्प्युटरीकृत जमाबंदी सं0 240 1369 0-1.838 211101800090769</p> <p>जमाबंदीदार का नाम- लालबाबू प्रसाद, पिता- स्व0 नथुनी साह 240 1369 0-0.338 2111018000104529</p> <p>जमाबंदी का नाम- लालबाबू प्रसाद, पिता स्वी0 नथुनी साह</p> <p>वादी की पत्नी श्रीमती लछमीना देवी के नाम पर जो भूमि है उसका विवरण निम्न प्रकार है:</p> <p>खाता सं0 खेसरा सं0 रकबा(ए0डि0) कम्प्युटरीकृत जमाबंदी सं0 182 597 0-7.5 211101800054901</p> <p>जमाबंदीदार का नाम- लक्ष्मीनिया देवी, पति- लालबाबू साह</p> <p>इतना ही नहीं, लालबाबू प्रसाद को ईट का पक्का तीन मंजिला मकान वार्ड सं0-3, लौरिया, नंदनगढ़ में अवस्थित है। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि न्यायालय अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए निम्न परिस्थितियों में</p>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>निषेधित भूमि को बेचने की अनुमति प्रदान कर सकती है जो इस प्रकार है: (क) संपत्ति का नुकसान- यदि अदालत को लगता है कि संपत्ति को नुकसान होने का खतरा है तो वह संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकती है। (ख) विवाद का निपटारा- यदि संपत्ति के स्वामित्व या उपयोग पर विवाद है और अदालत को लगता है कि बिक्री विवाद का सबसे अच्छा समाधान है, तो वह संपत्ति बेचने का आदेश दे सकती है। (ग) पारिवारिक संपत्ति का मामला- यदि पारिवारिक संपत्ति के मामले में, अदालत को लगता है कि संपत्ति को बेचने से सभी पक्षों के हितों की रक्षा होगी तो वह संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकती है। The State Bank of India Vs. Ghamadi Ram के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभाजन वाद में Coparcenary की व्याख्या करते हुए जिन पांच नियमों का जिक्र किया है उसमें चौथा तथ्य निम्न प्रकार है- “ No alienation of the property is possible unless it is for a necessity, without the concurrence of the coparceners.” (घ) Best interests of parties- The court may consider the best interests of all parties involved, including creditors or other stakeholders, when deciding whether to order a sale. (ङ) Land Acquisition- In cases of land acquisition for public purposes, the court may order the sale of the land to facilitate the acquisition process. (च) When the injunction is no longer valid or enforceable- If the injunction is found to be valid, has been lifted, or is no longer enforceable, the court can proceed with the sale for the property. (छ) When the injunction is</p>	
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>against a specific person, not the land itself- An injunction is generally directed at a specific person, not the land itself, if the person subject to the injunction is no longer involved in the matter or the injunction is not binding on the current owner, the court may order the sale. (ज) When the injunction was obtained through misrepresentation or misconduct- If the injunction was obtained through misrepresentation or misconduct, the court may refuse to enforce it and proceed with the sale of the property. केवल विभाजन वाद में ही निषेधित आदेश की अनुपस्थिति में मुकदमा दायर करने के पहले या उसके उपरांत कोई भी पक्षकार अपने वैध आवश्यकता के लिए जमीन बिक्री कर सकता है और बिक्री की गई भूमि उसके हिस्से में सामंजित होगी और इससे विवाद उत्पन्न नहीं होगा। जबकि उपरोक्त वाद, वादी अपने अधिकार, स्वामित्व व दखल-कब्जा की कानूनी घोषणा हेतु लाया है जिसका अंतिम न्याय निर्णय होना बाकि है और ऐसी परिस्थिति में वादी के पक्ष में भूमि बेचने का आदेश देना मामले को और जटिल बनाना होगा। प्रतिवादी सं0- 01 ता 09 अपने लिखित जवाब के माध्यम से कहा है कि सन् 1935 में रामधारी साह की मृत्यु के बाद रामधारी साह की पत्नी मानकी और उनके नाबालिग पुत्र ने प्रतिवादीगण के पूर्वज रामलखन साह को वादग्रस्त भूमि बिक्री कर दिया और विक्रय के सबूत में याददाश्त खेस्टा बिक्रीनामा 1 आश्विन 1339 (सन् 1932) तामिल कर दिया। तभी से रामलखन साह उक्त भूमि पर काबिज-दाखिल रहते हुए मालगुजारी रसीद भूतपूर्व जमीन्दार से प्राप्त करते आ रहे</p>	
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>है और उनके मरने के बाद उनके वारिसान जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार से जमीन की मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी सं0 279 रामलखन साह के नाम पर कायम हुआ। उपरोक्त तथ्यों व प्रतिपादित कानून के आलोक में वादी द्वारा निषेधाज्ञा वाली भूमि के संबंध में मांगे गये अनुतोष उपर्युक्त कानून द्वारा वर्गीकृत श्रेणी की परिधि से बाहर है। वादी ने अपने आवेदन में दिए गए जिन पांच कट्टा भूमि को बेचने की अनुमति मांगी है वह भूमि पहले ही प्रतिवादीगण ने दिगर महाजन को बेंच दिया है और वह महाजन उस बिक्रीनामा के आधार पर अपने स्वामित्व व शांतिपूर्ण दखल-कब्जा में है। वादी का आवेदन कानून की नजर में आधारहीन व अयोग्य है। अपराध नियंत्रण, खून-खराबा व शांतिभंग की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार निबंधन अधिनियम, 2008 में यह प्रावधान किया कि जिसके नाम पर जमाबंदी होगी, वहीं व्यक्ति भूमि बेचने का अधिकारी होगा, वह नियम इस प्रकार है-</p> <p><u>बिहार गजट (असाधारण), 10 अक्टूबर 19</u></p> <p>Rule 19(xvii)- If a document is related to sale/gift of property, in which Jamabandi allotted to seller/doner is not mentioned in the deed and no proof is produced about Jamabandi allotted to the seller/doner.</p> <p>Provided that it will have no effect on the document related to the transfer of flat/apartment.</p> <p>चूँकि, वादी कानूनी रूप से वादग्रस्त भूमि बेचने के अधिकारी नहीं है, इसलिए न्यायालय के आदेश के बल</p>	
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>पर जमीन बेचना चाहते हैं और अंतिम न्याय निर्णय से पहले ही अपना स्वामित्व सृजित करना चाहते हैं। यदि न्यायालय तथ्यों व कानून को दरकिनार करके जमीन बेचने की अनुमति देता है तो कानून की गरिमा को ठेस पहुंचेगी और अनावश्यक फौजदारी व दीवानी विवाद उत्पन्न होगा। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि- “A Judge renders justice through his decisions. The decision making culminating in the judgment, is the heart and soul of the judicial process. Good judgments enhance the prestige of the Judge and eventually the prestige of the Judiciary. Bad judgments, obviously, have the opposite effect.” इस जवाब के साथ केश लॉ व अन्य कागजी सबूत श्रीमान् के अवलोकनार्थ संलग्न हैं। अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि वादी के अनुपयुक्त व निराधार आवेदन को न्यायहीन में खारिज करने की कृपा प्रदान की जाय। इसके लिए प्रतिवादी सं0 01 ता 09 श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगे।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह वाद न्यायालय में दिनांक 16.05.2017 को दाखिल किया गया। वादी का वाद न्यायालय में सुनवाई के वाद दिनांक 25.05.2017 को ग्रहण किया गया। वादी ने यह वाद, वाद पत्र के राहत(क) में यह मांग किया है कि मद नं0-02 वाली जमीनों पर वादी का स्वत्व(Tittle) घोषित(Declare) किया जाए। (इस वाद में वादी लालबाबू प्रसाद है तथा प्रतिवादी रामजी हलुवाई एवं अन्य है।) वादी ने अपने राहत (ख) में</p>	
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>यह भी मांग किया है कि विचारण के पश्चात् वाद पत्र की मद सं0-02 वाली जमीनों एवं मकान पर या उसके किसी भी अंश पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने तथा उसमें घुसने और उसके किसी भी अंश की खरीद-बिक्री या बक्शिश वगैरह करने, उसके किसी अंश की प्रकृति बदलने, उस पर लगे पेड़-पौधे को काटने तथा उसमें लगे बांस को काटने से हमेशा के लिए स्थायी निषेध आज्ञा आदेश की डिक्री से प्रतिवादीगण को रोक दिया जाए एवं उक्त वाद के लम्बित रहने तक के लिए तत्काल अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से उन्हें (प्रतिवादीगण) को रोक दिया जाए एवं राहत (ग) तथा (घ) मांगा गया है।</p> <p>अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि वादी द्वारा दिनांक 15.05.2017 को एक आवेदन आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सीपीसी के तहत दिया गया था। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से 29.11.2017 को जवाब दाखिल किया गया। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2018 को वादी का आवेदन दिनांक 15.05.2017 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के आलोक में वादी द्वारा विविध अपील नं0- 06/2018 दाखिल किया गया जिसमें विद्वान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अष्टम, बेतिया पश्चिम चम्पारण के द्वारा दिनांक 13.09.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 20.03.2018 के आदेश को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार किया गया।</p> <p>प्रतिवादीगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में Civil Miscellaneous Jurisdiction No. 876 of 2022 दाखिल</p>	
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 04.06.2025</p>	<p>किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 18.10.2024 को आदेश दिया गया कि</p> <p>“In the Light of submission made on behalf of the parties, order dated 13-09-2022 passed by the Learned Additional District Judge-8th, Bettiah, West Champaran is Misc Appeal No. 06 of 2018 is modified and the Plaintiff as well as defendants are directed not to alienate or transfer the suit property without prior permission of the court concerned and they are directed not to change the nature of the property till further orders the trial court.”</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आदेशों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभी वाद का विचारण चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 18.11.2024 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में सहयोग करे।</p> <p>वाद दिनांक 27.06.2025 को प्रतिवादी सं0-10 की उपस्थिति वास्ते नियत किया जाता है।</p> <p>(लेखापित)</p> <p>अवर न्यायाधीश-1 नरकटियागंज</p>	
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--